(6) वर्तमान याचिका के गुण-दोष पर आते हुए, यह निष्फल हो गया है।प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्विनी चोपड़ा ने बार में कहा है कि आवेदक-पति द्वारा दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अधिनियम की खंड **9** के तहत याचिका पहले ही **16** नवंबर, **1979** को खारिज कर दी गई है।स्थानांतरण के लिए वर्तमान आवेदन में लिया गया मुख्य आधार यह था कि आवेदक द्वारा समय से पहले दायर की गई खंड **9** के तहत याचिका गढ़शंकर में दीवानी न्यायालय में लंबित थी। चूंकि यह तय हो चुका है, इसलिए यह मैदान नहीं बचा है।

(7) याचिका में लिया गया दूसरा आधार यह था कि आवेदक को आशंका थी कि अगर वह अपने मामले का बचाव करने के लिए जालंदूर जाता है तो उसकी जान को खतरा है।श्री जैन द्वारा अदालत में इस याचिका पर बहस नहीं की गई थी।इस आपत्ति को कायम रखने के लिए फाइल पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है।नतीजतन, हम इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

(8) पक्षकारों को उनके संबंधित वकील द्वारा से **21** मई, **1980** को विद्वान जिला न्यायाधीश, जालंदूर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

डी. एस. तेवतिया, जे.-मैं सहमत हूँ।

एस. के.

समक्ष जे. वी. गुप्ता जे.

अश्विनी कुमार कौशिक और अन्य अपीलार्थी।

बनाम

राम रतन और अन्य,-उत्तरदाता।

1980 के आदेश सं. ***5*** से दूसरी अपील।

2 मई, **1980**।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)—आदेश 23 नियम 3— मुकदमे की पार्टी ने कोर्ट में उनका समझौते के बारे में बयान दिया- अदालत ने डिक्री पारित की जो समझौते के अनुरूप नहीं है लेकिन कुछ और भी जोड़ दिया है- ऐसी डिक्री- क्या अपील योग्य हो

माना गया कि सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, लेकिन यदि यह पाया गया कि प्रतिवादी ने एक सीमित पेशकश की थी लेकिन अगर यह पाया जाता है कि प्रतिवादी ने एक सीमित प्रस्ताव दिया था लेकिन वादी एक जवाबी प्रस्ताव लेकर आया और अदालत समझौते के आधार पर एक डिक्री पारित कर दी लेकिन कुछ और भी जोड़ा ऐसा डिक्री अपील योग्य होगा क्योंकि ऐसा नहीं होगा समझौते के अनुरूप हो या सख्ती से हो पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं. इसके अलावा, नियम सिविल प्रक्रिया संहिता **1908** के आदेश **23** के **3** में प्रावधान है कि समझौता या समझौता लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए. जहां पार्टियों ने अदालत में केवल उनके समझौते के बारे में बयान दिए इसको कोई समझौता नहीं कहा जा सकता उनके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में और न्यायालय द्वारा पारित डिक्री होगी तो अपील योग्य हो ।

(पैरा **5** और **6)**

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री हरि राम के न्यायालय के आदेश से दूसरी अपील।गुड़गांव, दिनांक ***3*** अक्टूबर, ***1972*** ने श्री एस. एन. चड्ढा, उप्-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, बल्लभगढ़, दिनांक **29** नवंबर, **1978** के मामले को उलटते हुए, जे. **2** मामले को उस चरण से पुनः सुनवाई के लिए वापस भेज दिया जब कथित समझौता दर्ज किया गया था और कानून के अनुसार मामले के निर्णय के लिए और निचली निचली अदालत को प्रतिवादी द्वारा ***17*** नवंबर, ***1978*** को किए गए आवेदन के गुण-दोष पर गौर करने का निर्देश दिया और अपने वकील द्वारा से पक्षों को ***16*** अक्टूबर, ***1979*** को विद्वत निचली निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए. एस. रूपल।

प्रतिवादी की ओर से ओ. पी. गोयल, अधिवक्ता

न्याय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) वादी-अपीलकर्ताओं ने यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव, दिनांक **3** अक्टूबर, **1979** के आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और मामले को उस चरण से फिर से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया है जब कथित समझौता दर्ज किया गया था और कानून के अनुसार मामले के निर्णय के लिए।

(2) अभियोक्ता ने **14, 600** बंधक राशि, तीन साल का ब्याज और भविष्य के ब्याज की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया इन आरोपों पर कि प्रतिवादी-प्रतिवादी राम रतन ने बल्लभगढ़ की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित एक हवेली को अभियोक्ता संख्या **1** के पिता और अभियोक्ता संख्या **2** के नाना के साथ रु **11, 000/-** दिनांकित पंजीकृत बंधक विलेख के माध्यम से **21** अप्रैल, **1972** गिरवी रख दिया है। इस मुकदमे को प्रतिमुकदमाी ने चुनौती दी थी। यह कि अन्य बातों के साथ साथ दलील दी गई थी कि बंधक कब्जे के साथ एक बंधक था और इसलिए, वसूली के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है।हालाँकि, **29** अक्टूबर, **1978** को मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों दलों ने कुछ समझौता किया था, लेकिन इस तरह का कोई लिखित समझौता या तो निष्पादित नहीं किया गया था या अदालत में पेश नहीं किया गया था।प्रतिवादी ने स्वयं निम्नलिखित बयान दिया:—

> "उन्होंने कहा कि उन्होंने वादी के साथ समझौता किया था।वादी के पक्ष में **11,000** रुपये की वसूली का आदेश पारित किया जाए।विवादित संपत्ति को भुनाया हुआ माना जा सकता है।"

यह बयान दर्ज होने के बाद, अश्विनी कुमार अभियोक्ता ने निम्नलिखित बयान दिया:—

"प्रतिवादी का बयान सुना गया है। सही है।उसी के अनुसार एक डिक्री पारित की जा सकती है। यह कि वह अपने आवेदन दिनांक 17.11.1978 को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वह अपने बंधक अधिकार छोड़ देता है।उसे लागत का भुगतान किया जाएगा।राशि का भुगतान नकद में किया जाए। उसे ब्याज की ***राशि*** दी जानी चाहिए।"

इन दो बयानों को दर्ज करने के बाद, निचली अदालत ने डिक्री पारित की, जिसका संचालन भाग निम्नानुसार हैः—

"मुकदमाकारों के बयान को ध्यान में रखते हुए, रुपये की वसूली के लिए अभियोक्ता का मुकदमा। **11, 000** को लागत के साथ निर्धारित किया जाता है।वादी मुकदमे की तारीख से **7** प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के साथ इस राशि की वसूली करने के भी हकदार होंगे, जब तक कि पूरी डिक्मुकदमाल राशि की वसूली नहीं हो जाती।यदि अब से तीन महीने की अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विवादित संपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाएगा।यदि भुगतान किया जाता है, तो विवादित संपत्ति को छुड़ा लिया जाएगा।"

निचली अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने गुड़गांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की।अपील में निचली अदालत के इस फरमान को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया है कि निचली अदालत ने अपना फैसला और फरमान 'कथित समझौते' के आधार पर पारित किया है जो वास्तव में पूर्ण समझौता नहीं था- इस तरह के समझौते पर डिक्री, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं थी।इस आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए वादी इस अदालत में अपील करने आए हैं।

(3) अपील को इस सवाल पर स्वीकार किया गया था कि क्या सहमति के आधार पर पारित डिक्री के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

(4) मैंने पार्टियों के वकील वकील को सुना है लेकिन मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है।बेशक वह सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान मामले में यह विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि प्रतिअभियोक्ता ने एक सीमित प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभियोक्ता एक जवाबी प्रस्ताव के साथ आया था, और फिर निचली अदालत ने समझौते के आधार पर सख्ती से एक डिक्री पारित नहीं की, बल्कि उसमें कुछ और जोड़ा।यदि एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि डिक्री समझौते के अनुसार नहीं है या कड़ाई से पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं है, तो स्वीकार किया जाता है कि ऐसी डिक्री अपील योग्य है।

(5) इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **23** के नियम **3** में प्रावधान है कि समझौता या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।मान लीजिए कि वर्तमान मामले में कोई समझौता (लिखित रूप में और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित) नहीं किया गया था।इन परिस्थितियों में उसके अनुसार डिक्री पारित करने का सवाल ही नहीं उठ सकता था। वास्तव में यह प्रतीत होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन एक उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि पक्षकार एक निश्चित समझौते पर आ सकें और इस प्रकार समझौता लिखित रूप में किया जा सके ताकि कुछ भी अस्पष्ट और न्यायालय के विवेक में न रह जाए।इस आधार पर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधान के तहत पक्षों के बीच कोई समझौता किया गया था, जिसके आधार पर एक डिक्री पारित की जा सकती थी।

(6) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है।पक्षकारों को **30** मई, **1980** को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एस सी के।

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

अरुणा गुप्ता